

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई 2017

विषय:-

शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर-गणेशपुर भाग (एन0एच0-72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रुडकी-छुटमुलपुर-सहारनपुर यमुनानगर (एन0एच0-73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सामाजिक वानिकी सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2069/सहारनपुर/17752/2016, दिनांक-06-4-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर-गणेशपुर भाग (एन0एच0-72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रुडकी-छुटमुलपुर-सहारनपुर यमुनानगर (एन0एच0-73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सामाजिक वानिकी सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी 37 (1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 3- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर।
- 5- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0 देहरादून।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।